

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] No. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2017 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 में, पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—
 - "(4) पदमुक्त न्यासी या सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल से अनधिक के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु ऊपर उल्लिखित परिसीमा न्यासी या सदस्य को लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसे गैर सरकारी सदस्य, जिसने पहले ही, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या क्षेत्रीय सिमिति के दो या अधिक कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने वर्तमान कार्यकाल को जारी रख सकेगा।"।

[फा. सं. एस-35012/8/2016-एसएस-II]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में का.नि.आ. 1509 तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसमें सा.का.नि. 6(अ) तारीख 4 जनवरी, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।

407 GI/2017 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2017

G.S.R. 67(E).—In exercise of powers conferred by section 5, read with sub-section 1 of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

- 1. Short title and commencement.-
 - (1) The scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 2017.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 in paragraph 5, for sub-paragraph (4), the following shall be substituted, namely:-
 - "(4) An outgoing Trustee or Member shall be eligible for re-appointment as member of the Central Board or the Regional Committee, as the case may be, for a maximum of not more than two terms:

Provided that the limitation mentioned above shall not apply to an official trustee or member:

Provided further that a non-official member who has already completed two or more terms of the Central Board or the Regional Committee, as the case maybe, may continue his present term subject to the provisions of the Scheme.".

[F. No. S-35012/8/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* number G.S.R. 6(E), dated the 4th January, 2017.